न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 14 / 2020

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. देवी सिंह	01.	तहसीलदार सोजत, तहसील सोजत, जिला पाली।
02. दलपतसिंह		
03. गणपतसिंह पिसरान चन्दनसिंह		
04. धापु कंवर पत्नी चन्दनसिंह जातियान— राजपुरोहित, निवासीयान— चाडवास, तहसील— सोजत, जिला— पाली।		

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

उपस्थितिः—

01. श्री खेतसिंह राजपुरोहित अधिवक्तागण प्रार्थीगण उपस्थित।
02. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित

—: निर्णय :— दिनांक 11/03/24

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा चाडवास, पटवार क्षेत्र चाडवास तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नंबर 1074 रकबा 1.2900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों एवं कब्जा काश्त की स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण पीढयों से बतौर खातेदार निरंतर आज दिन तक बिना किसी बाधा एवं दखल के काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के पश्चिमी दिशा में माठों माठ खसरा नंबर 1039 रकबा 1.8300 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि स्थित है तथा उसके माठो माठ पश्चिमी दिशा में खसरा नंबर 964, 965, 966 की कृषि भूमि स्थित है। खसरा नंबर 964, 965, 966 के खातेदारान ने खसरा नंबर 1039 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर मौके पर तारबंदी करवा कर रास्ते की भूमि को स्वयं की खातेदारी अधिकरों की कृषि भूमि में मिला दिया है। अप्रार्थी राजनीतिक दबाव प्रभाव में आकर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नंबर 1074 में बोई हुई फसल को नष्ट कर मौके पर रास्ता निकालने हेतु आमादा है। प्रार्थीगण ने दिनांक 14.07.2020 को अप्राथी को रजिस्टर्ड डाके के जरिए नोटिस भेजकर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1074 में रास्ता नहीं निकालने हेतु निवेदन किया तथा खसरा नंबर 1039 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि की वस्तु स्थिति ज्ञात कर सही जगह पर रास्ता निकालने हेतु निवेदन किया तथा इस न्यायालय के समक्ष भी दिनांक 14.07.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में रास्ता नहीं निकालने हेतु अप्रार्थी को निर्देशित करने हेतु निवेदन किया परंतु इस सब के बावजूद अप्रार्थी ने दिनांक 14.07.2020 को एवं तत्पश्चात् दिनांक 22.07.2020 को प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी कृषि भूमि में रास्ता जबरदस्ती निकालने

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

की ऐलानिया धमकियां दी जिसका अप्रार्थी को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1074 में अपने पद का दुरूपयोग कर जबरन रास्ता निकालते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थी के उक्त कृत्य को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रूकवाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण के खातेदारीसुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 1074 पर प्रार्थीगण का बहैसियत खातेदार कब्जा काश्त है। अप्रार्थी बिना किसी कानूनी अधिकार के प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में अपने पद का दुरूपयोग करते हुए जबरदस्ती रास्ता निकालने पर आमादा है जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थी प्रार्थीगण की कृषि भूमि में जबरन रास्ता खोलता है तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ताफैसला मूल वाद निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी इस कदर जारी फरमावे कि सरहद मौजा ग्राम चाडवास के खसरा नंबर 1074 रकबा 1.2900 हैक्टर की कृषि भूमि में अप्रार्थी किसी प्रकार का रास्ता न तो स्वयं और न ही अपने किसी नौकर कर्मचारी एजेण्ट से ही निकलवावे तथा यदि खसरा नंबर 1039 में रास्ता सुचारू करवाया जाता है तो प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1074 की पैमाईश करवा कर खसरा नंबर 1039 की वास्तविक स्थिति पर रास्ता सुचारू करवाया जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज तलब किया गया। जिस पर तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पद एक में वर्णित तथ्य कानूनी है। पद दो में वर्णित सम्पति खसरा नम्बर 1074 रकबा 1.2900 हैक्टर सरहद मौजा चाडवास में स्थित है। पद तीन में वर्णित तथ्य राजस्व नक्शा सरहद मौजा चाडवास अनुसार स्वीकार है। पद 04 व 05 में वर्णित तथ्य के संबंध में निवेदन है कि वर्तमान में वाद में वर्णित आराजी भूमि पर फसलें खड़ी है और वादी द्वारा वांछित ईस्तदुआ की सही जगह से रास्ता निकाला जाए, तथ्य सीमांकन करने के पश्चात ही संभव है व जबरदस्ती रास्ता निकालने बाबत् तथ्य अस्वीकार है। पद 06 में वर्णित तथ्य वादी स्वयं साबित करे व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने बाबत् तथ्य कानूनी है। पद संख्या 07 वादी स्वयं साबित करे।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि ताफैसला मूल वाद निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी इस कदर जारी फरमावे कि सरहद मौजा ग्राम चाडवास के खसरा नंबर 1074 रकबा 1.2900 हैक्टर की कृषि भूमि में अप्रार्थी किसी प्रकार का रास्ता न तो स्वयं और न ही अपने किसी नौकर कर्मचारी एजेण्ट से निकलवावे तथा यदि खसरा नंबर 1039 में रास्ता सुचारू करवाया जाता है तो प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1074 की पैमाईश करवा कर खसरा नंबर 1039 की वास्तविक स्थिति पर रास्ता सुचारू करवाया जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत

उप खण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी किसी प्रकार से प्रार्थी की भूमि में से जबरन रास्ता नही निकलवा रहा है। जिससे प्राथी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र तथा अप्रार्थी तहसीलदार सोजत के जवाब प्रार्थना पत्र एवं फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः पक्षकारों के हक अधिकार दस्तावेजो के आधार पर तनकियात कायत होकर/साक्ष्य उभयपक्ष रेकर्ड पर वाद विवेचन/विश्लेषण कर विनिश्चय किया जावेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रास्ते की भूमि के संबंध में किसी प्रकार का स्थगन जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 11/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)